NJESR/October-2023/Volume-5/Issue-10 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2023.5.10.16-21

सरकार की जवाबदेही और प्रर्दशन के सुघार में लोकायुक्त की भूमिका

अरूण कुमार (शोध प्रज्ञ),
प्रो. डॉ. कुन्दन कुमार सिंह (प्रवेक्षक)
(Received:25September2023/Revised:29September2023/Accepted:20October2023/Published:25October2023)

भारत लोकतांत्रिक देश है जिसकी पहचान निष्पक्ष, और ईमानदार शासन व्यवस्था प्रदान करना है। भारत इसमें असफल रहता है तो वह सरकार प्रभावी अर्थात् योग्य सरकार नहीं कहीं जा सकती हैं। निष्प्रभावी, अलोकतांत्रिक सरकार देश हित में नहीं होगा। इसको दुर करने के लिए प्रभावी और योग्य संस्था का होना आवश्यक है जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हो। वैश्विक स्तर पर ओम्बुड्समैन नामक संस्था सर्वप्रथम स्वीडेन में 1809 में गठन किया गया तत्पश्चात् विश्व के अन्य देशों में। भारत में लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्था कि गठन की अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। भारत में लोकपाल की गठन का प्रस्ताव वर्ष 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में पेश किया था।

भारत में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पास हुआ और जनवरी 2014 में प्रभावी हो गया। इसके पश्चात् भारत के विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था का गठन किया गया। बिहार में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में बना और इसके पहले लोकायुक्त श्रीधर वासुदेवा सोहनी को नियुक्त किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त संस्था का गठन इस उदेश्य से किया गया है कि देश और राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने में सफल हो पाऐगें जिससे देश और राज्यों का विकास होगा। लोकतंत्रात्मक शासन में यह आशा की जाती है कि जनता की शिकायतों को दूर करने के पर्याप्त साधन हों। वर्तमान न्यायिक प्रणाली पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए पिडित व्यक्तियों के साथ संपूर्ण न्याय के लिए ओम्बुड्समैन जैसी संस्था सहायक हो सकती है। लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्था की सफलता समुचित रुप से शासित राज्य पर निर्भर करती है। जहाँ प्रशासन संरक्षण और भ्रष्टाचार की पहेली है वहाँ वह कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय संसद ने 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बनाया है यद्यपि प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में ही लोकपाल/लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए संस्तुती कर दी थी। कुछ राज्यों में इस पर त्वरित कानून बने तथा लोकायुक्त नियुक्त किए गए है।

लोकपाल की आव□यकता क्यो?

स्वाधीनता के समय देश में भ्रष्टाचार की कमी नहीं थी। जिसके कारण तात्कालिक राजनेताओं को इसकी चिंता थी। सर्वप्रथम 1946 में (भारतीय दंड संहिताः 1860 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपलब्ध हैं।) दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1947 पारित किया गया। इसको अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के द्वारा समेकित और संशोधित करके नया रुप दिया गया है। परंतु भ्रष्टाचार रुपी राक्षस का लागातार बढ़ता गया एवं समाधान असफल प्रतीत होती रही है। वर्तमान राजनीतिक भ्रष्टाचार ने भारतीय जनमानस को इतना उद्वेलित कर दिया कि नित्य नए–नए भ्रष्टाचार तथा घोटाले प्रकाशन में आ रहे हैं। इन सभी घोटालों का संबंध उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों से है। भारतीय राजनीतिक स्वरुप भ्रष्टाचार से इतना विकृत हो चुका है कि वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। ऐसी स्थिति में एक ऐसे प्रभावशाली तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो उस पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। यद्यपि कि भारत में नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए समय–समय पर अनेक ठोस कदम उठाये गये, उदाहरणस्वरुप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161, 165 में दी गई भ्रष्टाचार की परिभाषा को इस अधिनियम में अधिक व्यापक

बनाया गया, इसके अतिरिक्त दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना (Establishment) तथा केंद्रिय जाँच ब्यूरो की भी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण हेतु की गयी थी, परन्तु प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार की समस्या पर संतोषजनक नियंत्रण स्थापित नही हो सका।

सन् 1962 में अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रसिद्ध न्यायविद् श्री एम0 सी0 शीतलवाड ने भारत में लोकपाल जैसे संस्था की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव को अग्रसर करने का कार्य तृतीय लोकसभा के सदस्य डॉ0 एल.एम. सिंघवी ने किया। उन्होंने लोकसभा में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया था।

इसके बाद एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गयी जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रश्न पर भी विस्तार से विचार किया। आयोग ने इस संबंध में अक्टूबर, 1966 में सरकार को एक अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रेषित किया। देश के विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की शिकायत के निवारण हेतु आयेाग ने दो विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। जिसके प्रथम भाग में मंत्रियों और सचिवों स्तर के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रखा। इस व्यापक भ्रष्टाचार के निराकरण हेतु एक ऐसे पृथक संस्थान पर बल दिया गया जो कि कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो। जिसकी अविलम्ब स्थापना के लिए सिफारिश की गयी।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन संस्थाओं के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसे पदो के सृजन की अनुशंसा की और सन् 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार ने देसाई आयोग की अनुशंसा पर संसद में लोकपालं/लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया। भारत में परिस्थितियों की मांग है कि यथाशीघ्र ओम्बुड्समैन अर्थात लोकपाल/लोकायुक्त की स्थापना त्तकाल की जाय। यह प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में जांच करने के लिए

Created by Universal Document Converter

अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना के विभिन्न प्रयास किए गए हैं परन्तु अभी तक इसकी स्थापना केंद्रिय स्तर पर नहीं हो पायी है परन्तु कतिपय राज्यों मे इसी तरह की संस्था जिसे लोकायुक्त कहा जाता है, की स्थापना की गई है।

वर्तमान समय में प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यो और शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रशासनिक प्राधिकारी केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं करते है बल्कि ये विधायी कल्प और न्यायिक कल्प कार्य भी करते हैं। उन्हें वृहद वैवेकिक शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। उनकी शक्तियों और उनके कार्यो में अभिवृद्धि के कारण इनके दुरुपयोग की भी सम्भावना बढ़ गयी है। इस प्रकार उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी बढ़ गयी है। न्यायपालिका और विधायिका ने उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास तो किए हैं परन्तु पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया है।

न्यायपालिका ने प्रशासनिक प्राधिकारियों को नियंत्रित करने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। न्यायिक सक्रियता ने सभी के ध्यान को आकर्षित किया है। न्यायलय ने प्रशासन पर अपना पर्यवेक्षण बढ़ा दिया है। परन्तु इसके उपरांत भी प्रशासन का न्यायिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। न्यायिक नियंत्रण की अपनी कुछ सीमाएं है। शक्ति का दुरुपयोग किया गया है यह सिद्ध करने का भार उस पर होता है जो ऐसा कहता है। प्रशासन का कृत्य असद्भावपूर्ण रहा है अथवा अनुचित उद्देश्य के लिए रहा हैं। यह सिद्ध करना अत्यंत दुष्कर होता है, विशेषकर उस दशा में जबकि सरकार दस्तावेजों की प्रकट करने से रोकने के विशेषाधिकार का दावा करती है। संविधि में अन्तिमता अथवा अपवर्जन खंड जोड़कर भी न्यायालय के नियंत्रण को कमजोर कर दिया जाता है। व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध बहुत से त्रुटिपूर्ण कार्य लोकहित के नाम पर किए जाते हैं। वैवेकिक शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन भी न्यून है। **न्यायालय**[1] का मत है कि विधि के अंतर्गत अधिकारी को प्राप्त विवेक के स्थान पर न्यायालय अपना विवेक नहीं प्रतिस्थापित कर सकती।

इसके अतिरिक्त कार्यवाहियाँ अधिक समय लेती है और महंगी भी है। इसमें न्यायालय तथा अधिवक्ता को फीस देना पड़ता है। इस कारण सामान्य व्यक्ति अथवा निर्धन व्यक्ति उपचार प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है। विधयिका के प्रमुख कार्यो में से एक है, कार्यपालिका या प्रशासन को नियंत्रित करना। परन्तु संकीर्ण दल प्रणाली और मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण आज विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका अथवा प्रशासन पर अत्यंत कमजोर और ढीला है। कार्यपालिका में दल के वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिनकी इच्छा के विरुद्ध विधायिका के सदस्य का कार्य करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दल के आदेश के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है और दल के वरिष्ठ सदस्य ही मंत्री मंडल मे होते है। अतः वर्तमान समय में विधायिका कार्यपालिका (प्रशासन) को नियंत्रित करने में सफल नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त विधायिका पर कार्य का बोझ बढ़ गया है। उसे व्यक्तियों की व्यक्तिगत शिकायतों को सुनने और उसके निस्तारण का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। विधायिका के सदस्य प्रशासन द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का प्रश्न सदन में उठा सकते है। परन्तु इसके राजनैतिक प्रश्न बन जाने की संभावना अधिक होती है और इस कारण ऐसे प्रश्न आसानी से सदन में नही उठाये जाते हैं। इस प्रकार विधायिका भी कार्यपालिका अथवा प्रशासन के कृत्यों से व्यथित व्यक्ति को समुचित उपचार प्रदान नहीं कर पाती है। प्रशासनिक निर्णयों को नियंत्रित करने का आंतरिक प्रबंध भी प्रभावी नहीं सिद्ध हो पाया है। निर्णय का प्रशासनिक पुनर्विलोकन के दौरान मूल निर्णय को सही ठहराने का प्रयास किया जाता है। इस कारण एक ऐसे प्राधिकारी की आवश्यकता है जो निष्पक्ष और प्रशासन से स्वतंत्र हो और निष्पक्षतापूर्वक प्रशासन के निर्णय का पुनर्विलोकन कर सके और प्रशासन को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोक सके। इस प्रकार भारत में आम्बुड्समैन की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। यह मंत्रीगण को समर्थ करेगा कि वे प्रशासन की त्रृटियों को दूर कर सके।

लोकपाल और लोकायुक्त का परिचय

राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन इस देश में लोकपाल के लिए 48 साल से इंतजार चल रहा है। किसी भी कौम के जीवनकाल में 48 साल एक लंबा समय होता है। जिस कानून को आजादी के समय ही अस्तित्व में आ जाना चाहिए था, उसे लेकर वर्ष 1968 से लगातार लुका–छिपी का खेल चल रहा है। अब जाकर उसके लिए सकारात्मक हलचल हुई है।

स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी कानून के लिए इतना बड़ा जन–समुदाय उठ खड़ा हुआ है। अब बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि लोकपाल कब स्थापित हो। अब तो केवल यह तय करना बाकी है कि लोकपाल कैसा हो? वह सरकारी विधेयक में प्रस्तावित एक कमजोर संस्था हो या फिर जन लोकपाल विधेयक द्वारा प्रस्तावित एक सर्वशक्तिमान निकाय बने।

ऊँचे पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की ओर से वर्ष 1967 में लोकपाल की स्थापना का सुझाव दिया गया था। सन् 1969 में उसे लोकसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद से अब तक वह मृग–मरीचिका ही साबित हुआ। इस दौरान छोटी–बड़ी कुल चौदह कोशिशें की गई। आठ बार सरकारी विधेयक के रूप में और छह बार गैर–सरकारी विधेयक के रूप में इसे स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी–न–किसी बहाने उसमें रोड़ा अटकाया जाता रहा।

शुरू में प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखे जाने को लेकर मतभेद थे; किंतु ऊँचे पदों पर आसीन लोगों से जुड़े भ्रष्टाचार के प्रकरण इस प्रकार उजागर हो चुके हैं और उनका आभामंडल इतना क्षीण हो चुका है कि सार्वजनिक जीवन का कोई भी पदधारक अब अपने को जाँच के दायरे से अलग रखने की सिफरिश करने का साहस नहीं कर सकता।

लोकपाल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध समाज–सेवी व गांधीवादी नेता अन्ना हजारे की मौजूदा पहल ऐसे समय पर हुई है, जब देश की जनता भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है। मामला केवल राष्ट्रमंडल खेलों या 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों तक ही सीमित नहीं है। जहाँ कहीं भी पाखंड का सुरक्षा कवच थोड़ा सा दरकता है, उसके नीचे भ्रष्टाचार का काला समंदर नजर आने लगता है। अदालतों से जुड़े भ्रष्टाचार के प्रकरणों के उजागर होने के बाद अब जनता के धैर्य का बाँध टूटने लगा हैं

Created by Universal Document Converter

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ने भी इस मुहिम को मजबूती दी है। मिस्र देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुबारक सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ी। ऐसे समय में लोकपाल पर होनेवाली बहस कई मामलों में बिल्कुल अलग है। अब यह बहस सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस कानून के स्वरूप को लेकर है। लोग सरकारी विधेयक को नाकाफी मानकर उसका विरोध कर रहे हैं। उसकी जगह लोकपाल विधेयक का एक वैकल्पिक प्रारूप तैयार किया गया है।

सरकारी विधेयक का अधिकार–क्षेत्र केवल राजनेताओं तक सीमित है। सरकारी अधिकारियों की जाँच के लिए सतर्कता आयोग जैसी संस्थाएँ हैं, जो अब तक निष्प्रभावी साबित हुई हैं। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई संस्था नहीं है। जनता के लिए राजनेता के भ्रष्टाचार, सरकारी कारकूनों की रिश्वतखोरी और न्यायाधीशों की बेईमानी में कोई अंतर नहीं है। इस पृष्ठभूमि में लोकपाल विधेयक के उपबंध सरकारी विधेयक की तुलना में ज्यादा प्रभावी और प्रासंगिक हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त का इतिहास

स्कैंडेनेवियाई देशों में स्थापित किए गए ओम्बड्समैन की तर्ज पर भारतीय लोकपाल की परिकल्पना की गई। स्वीडेन में ओम्बड्समैन की स्थापना सन् 1809 में ही की जा चुकी थी। इसके तुरंत बाद कई देशों में अधिकारी वर्ग के रवैए से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह की संस्था का सूत्रपात किया गया। 'ओम्बड्समैन' एक स्वीडिश शब्द है, जिसका मतलब विधायिका द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी, जो प्रशासकीय और न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करे।

60 के दशक की शुरूआत में हमारे देश के प्रशासनिक ढाँचे में जड़ जमाते भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए यहाँ पर स्कैंडेनेवियाई देशों के जैसे ओम्बड्समैन की जरूरत महसूस की गई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी, 1966 को प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक द्वि–स्तरीय प्रणाली के गठन की वकालत की। इस द्वि–स्तरीय प्रणाली के तहत केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर दिया गया था। सरकार ने पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक सन् 1968 में पेश किया।

लेकपाल और लोकायुक्त का गठन

केंद्र के स्तर पर स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा लोकपाल। हर राज्य के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा जन लोकायुक्त। ये संस्थाएँ सरकार के प्रभाव से पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। आज जितनी भी भ्रष्टाचार–निरोधक संस्थाएँ हैं, जैसे–सी.बी.आई., सी.वी.सी., डिपार्टमेंट विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्रांच–ये सभी संस्थाएँ पूरी तरह सरकार के शिकंजे में हैं। यानी कि ये उन्हीं लोगों के प्रभाव में हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। यानी कि चोर जो है, वही पुलिस का मालिक बन बैठा है। इस कानून के तहत लोकपाल और जन लोकायुक्त पूरी तरह से सरकारी शिकंजे से बाहर होंगे।

लोकपाल/लोकायुक्त का काम

लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार से सम्बंधित आम आदमी की शिकायत पर सुनवाई करेगा। लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों पर सुनवाई करेगा और उन पर एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनेगा और उन काररवाई करेगा। जिससे लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके।

भ्रश्टाचार क्या है?

भ्रष्टाचार एक सामाजिक–नैतिक समस्या है। लेकिन यह आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक, भौतिक एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं में संलिप्त कुरीति है। भ्रष्टाचार की एक सर्वमान्य परिभाषा करना निरर्थक होगा, क्योंकि इसकी सीमा रेखा नहीं खीची जा सकती है।

भ्रष्टाचार इसलिए व्यापक है कि हम गलत काम करने एवं कराने के लिए घूस देने से जरा भी संकोच नहीं करते है। अफसर न भी मांगे तो भी चाय–पानी के लिए हम उसकी हथेली पर कुछ रुपये रख देते है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों की नैतिकता बदले बिना न तो भ्रष्टाचार कम होगा और न ही खत्म होने वाला हैं। यह सभी क्षेत्र में व्याप्त संलिप्त गंदगी है, जो खत्म करना असंभव नही तो कठिन अवश्य है। भ्रष्टाचार शरीर में पाया जाने वाला डी.एन.ए. की तरह व्यवस्था के हिस्सा के रुप में मौजूद वायरस है।

भ्रष्टाचार प्रत्येक राष्ट्र की समस्या है, अंतर सिर्फ इसके डिग्री का है। कहीं यह अत्यधिक है तो कही कम लेकिन है सभी व्यवस्था एवं राष्ट्र में सिर्फ इसकी मात्रा में असमानता है।

भ्रष्टाचार आम हिंदूस्तानी के लिए कोई नई बात नही है। डेढ़ सौ साल से जिस व्यवस्था में हम रहते आ रहे है, उसमें भ्रष्टाचार सामान्य जीवन का हिस्सा रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में इसे बख्शीश या नजराना कहा जाता था। समय के साथ–साथ उसे रिश्वत या घूस कहा जाने लगा। आज उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। नाम से जो भी रहा हो, किसी को इस पर परेशानी कभी भी नहीं रही। सच तो यह है कि हर व्यक्ति एक मापदंड लेकर चलता है। यदि उसे लगता है कि नजराना या घूस देने के खर्च से उसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो घूस देकर भूल जाता है। उसे न आपत्ति, न परेशानी और न ही किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार को सामान्य जीवन का भाग मानकर आगे बढ़ लेता है।

भ्रश्टाचार रोकने के लिए सार्थक कदम

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए अच्छे लोगों का चयन हो। इसके लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यापक आधारवाली बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। लोकपाल के 10 सदस्यों और अध्यक्ष के चयन के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, दो सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, दो सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं

Created by Universal Document Converter

महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सी.ई.सी.) होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची से करेगी, जो उसे सर्च कमेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सर्च कमेटी में दस सदस्य होंगे, जिसका गठन इस प्रकार होगा : सबसे पहले पूर्व सी.ई.सी. ओर पूर्व सी.ए.जी. में 5 सदस्य चुने जाएँगे। इनमें से पूर्व सी.ई.सी. और पूर्व सी.ए.जी. शामिल नहीं होंगे, जो दागी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हों। ये 5 सदस्य अब बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों, जैसे–संपादकों, कुलपतियों या जिन्हें वह ठीक समझें, उनसे सुझाव माँगेगी। इनके नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएँगे, जिन पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें आम राय से रिक्त पदों से तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। यह सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो सदस्यों का चयन करेगी।

सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियों रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे तथा उन्हें नियुक्त करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग ठीक से काम करें। लोकपाल या जन लोकायुक्त को हर शिकायत पर कार्यवाही करनी होगी। सुनवाई किए बिना किसी भी शिकायत को खारिज नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले को बंद करने के बाद उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा।

लोकपाल और जन लोकायुक्त का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा। जिन दस्तावेजों से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती हो या जिनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानेवालों को खतरा पहुँचता हो, उन दस्तावेजों को छोड़कर जाँच खत्म होने पर सभी रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए जाएँगे।

कितने मामले आए, कितने सुलझाए गए, कितने बंद कर दिए गए, क्यों बंद कर दिए गए, कितने लंबित हैं आदि का पूरा लेखा–जोखा हर महीने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त किसी से प्रभावित न हों। जन लोकपाल या लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद वे किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकेंगे और न ही कोई चुनाव लड़ सकेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो पद से हटा दिए जाएँगे। किसी लोकपाल या जन लोकायुक्त के स्टाफ के खिलाफ कोई भी शिकायत सीधे जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के पास की जाएगी। इनकी पूछताछ एक महीने के अंदर पूरी करनी होगी। अगर आरोप सही पाए गए तो अगले एक महीने के भीतर उन्हें बरखास्त कर दिया जाएगा, साथ ही उन पर भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार–निवारण अधिनियम के तहत फौजदारी का मुकदमा भी दायर किया जाएगा।

जन लोकपाल या लोकायुक्त के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ कोई भी आदमी उच्चतम न्यायालय या उस राज्य के उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। उस न्यायालय की बेंच की सुनवाई के बाद विशेष जाँच टीम के गठन का आदेश दिया जा सकता है, जो तीन महीने में जाँच करके इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय लोकपाल या लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का आदेश दे सकता है।

भ्रश्टाचारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही

भ्रष्आचार सिद्व होने और उसकी जाँच पूरी होने के बाद लोकपाल दो कार्यवाही करेगा–एक, जो भ्रष्ट अफसर है उसे नौकरी से निकालने की शक्ति लोकपाल के पास होगी। उनको एक सुनवाई (हियरिंग) देकर, जाँच के दौरान जो सबूत और गवाह मिले, उनकी सुनवाई करके, दोषी अधिकारी को नौकरी से निकालने का दंड देगा या उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देगा या कोई और भी पेनाल्टी लगा सकता है। जैसे उनकी तरक्की रोकना या इंक्रीमेंट रोकना आदि।

दूसरी चीज जो लोकपाल करेगा, वह यह कि जाँच के तहत जो सबूत मिलें, उन सबके आधार पर वह ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करेगा और उन लोगों को जेल भिजवाने की कार्यवाही शुरू करेगा। कुल मिलाकर दो चीजें हो गई–एक तो उन्हें नौकरी से निकालने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसका अधिकार लोकपाल को होगा। वह सीधे–सीधे आदेश देगा उन्हें नौकरी से निकालने के लिए। और दूसरा यह कि उन्हें जेल भेजने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा।

भ्रश्टाचारियों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान

भ्रष्टाचार साबित होने पर एक साल से लेकर उम्र भर के लिए जेल भेजने का प्रावधान होनी चाहिए। आज हमारे भ्रष्टाचार–निरोधक कानून में भ्रष्टाचार के लिए कम–से–कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है और ज्यादा–से–ज्यादा 7 साल की। लोकपाल कानून में कहा गया है कि इसे बढ़ाकर कम–से–कम एक साल और ज्यादा–से–ज्यादा उम्रकैद यानी कि पूरी जिंदगी के कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे कही अधिक सम्भव हो तो मृत्यु दण्ड भी दिया जाना चाहिए।

िशकायतों का समय पर समाधान

एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है–उसे आय निवास, जाति, राशन कार्ड आदि बनवाना है, तो उससे रिश्वत माँगी जाती है। अगर वह रिश्वत नहीं देता तो उसका काम नहीं किया जाता उलटे उस व्यक्ति को परेशान किया जाता है। लोकपाल विधेयक में ऐसे लोगों को भी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। जिससे कि उस व्यक्ति का काम समय पर हो जाए।

सिटिजन चार्टर का सारर्थकता

सिटिजन चार्टर नागरिको के हाथों में बहुत ही मजबुत सकती है। इस कानून के मुताबिक, हर विभाग को एक सिटिजन चार्टर बनाना होगा। उस सिटिजन चार्टर में यह लिखना पड़ेगा कि वो विभाग कौन सा काम कितने दिन में

Created by Universal Document Converter

करेगा, कौन अधिकारी करेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कौन अधिकारी बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा; राशन कार्ड कौन अधिकारी बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा; विधवा पेंशन कौन अधिकारी बनाएगा और कितने दिनों में बनाएगा। इसकी सूची हर विभाग द्वारा जारी करनी पड़ेगी।

सिटिजन चार्टर का उचित उपयोग

किसी भी नागरिक को कोई काम करवाना है तो वह उस विभाग में उस अधिकारी के पास जाएगा अपना काम करवाने के लिए। अगर वह अधिकारी उतने दिनों में काम नहीं करता तो फिर वह नागरिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को शिकायत करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जन शिकायत अधिकारी नोटिफाई किया जाएगा। उसका यह काम होगा कि वह अगले 30 दिनों के अंदर उस काम को कराए।

विजिलेंस के अधिकारी से समय पर शिकायत

विभाग का मालिक भी अगर काम नहीं कराता है तो संबंधित नागरिक लोकपाल या लोकायुक्त में जाकर शिकायत कर सकता है। लोकपाल का हर जिले के अंदर एक–न–एक विजिलेंस अफसर जरूर नियुक्त होगा, लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक–न–एक विजिलेंस अफसर नियुक्त होगा। नागरिक अपने इलाके के विजिलेंस अफसर के पास जाकर शिकायत करेगा। विजिलेंस अफसर के पास जब शिकायत जाएगी तो यह मान लिया जाएगा कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और उस अफसर ने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में यह काम नहीं किया। जन लोकपाल या लोकायुक्त के विजिलेंस अफसर को तीन काम करने पड़ेंगे–

30 दिनों के समय सीमा में काम

हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उस अफसर के ऊपर दण्ड लगाएगा, जो उनकी तनख्वाह से काटकर नागरिक को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। विभाग के अधिकारी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दायर किया जाएगा, जांच शुरू की जाएगी और भ्रष्टाचार की काररवाई इन दोनों के खिलाफ की जाएगी। यह काम बडे अधिकारी को करना होगा। इससे यह उम्मीद जगती है कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ 3–4 पैनल्टी भी लग गईं या 3–4 केस भी भ्रष्टाचार के लग गए तो वह अपने पूरे डिपार्टमेंट को बुलाकर कहेगा कि आगे से एक भी ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इससे आम आदमी के स्तर पर भी लोगों को जल्दी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।

क्या लोकपाल/लोकायुक्त उचित निर्णय कर सकेगें?

लोगों का यह मानना है कि लोकपाल के अंदर ही अगर भ्रष्टाचार फैल गया तो उसे कैसे रोका जाएगा? इसके लिए कई सारी चीजें इस कानून में डाली गई हैं। सबसे पहले तो यह कि लोकपाल और लोकायुक्त तथा इनके सदस्यों का चयन बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

जनता की सकारात्माक भागीदारी

लोकपाल और लोकायुक्त में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। समिति में निम्नलिखित लोग होंगे– प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन, आयुक्त शमिल होंगें।

लोकपाल एक योग्य व्यक्ति का चयन

चयन समिति में जितने लोग शामिल हैं, वे बहुत बड़े पद वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। ये सभी लोग बहुत व्यस्त भी रहते हैं। अतः यह भी संभव है कि ये अपने मातहत अफसरों के माध्यम से अथवा किसी राजनीतिक दबाव में गलत लोगों को लोकपाल बना दें। इसलिए चयन समिति को लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों के नाम देने का काम एक सर्च कमेटी करेगी। जो बिना किसी भेदभाव के एक योग्य और कुशल व्यक्ति का नाम का सुझाव देगी।

चयन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए?

चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी, जो उसे सर्च कमेटी अर्थत खोजबिन समिति द्वारा जो नाम मुहैया कराई जाएगीं सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान् उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सर्च कमेटी में सबसे पहले पूर्व सी.ई.सी. और पूर्व सी.ए.जी. में पाँच सदस्य चुने जाएँगे। इसमें वे पूर्व सी.ई.सी. और पूर्व सी.ए.जी. शामिल नहीं होंगे, जो दागी हों या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। यह 5 सदस्य बाकी के 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे। इस तरह 10 लोगों की एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी।

सी.बी.आई की भ्रश्टाचार–निरोधी भाखा

क्या सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार–निरोधी शाखा को लोकपाल में मिला दिया जाए तो भ्रष्टाचार में कमी हो पाएगी ऐसा सम्भावना कम है। सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार–निरोधी शाखा को पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए जिससे वह लोकपाल की जाँच टीम के तौर पर काम करेगी। और भ्रष्टाचार को कम करने में मददगार साबित हो सकेगा। सरकारी नजरिया–नहीं, सी.बी.आई. केंद्र सरकार के तहत काम करेगी। सी.बी.आई. भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जाँच के लिए सरकार से इजाजत लेगी। अगर सबूत पाए भी जाते हैं तो भी सरकार की इजाजत के बिना कोर्ट में मामला नहीं पेश किया जा सकता हैं

निश्कर्श:-

भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या बन गया है जिसे समाप्त करना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य होता जा रहा है अगर इसे समाप्त करना है तो उस देश के नागरिकों कों भी आगे आना होगा। यद्यपि भ्रष्टाचार को

Created by Universal Document Converter

समाप्त काने के लिए अनेकों संस्था काम कर रही है फिर भी भ्रष्टाचार किसी ना किसी विभाग या संस्था में उजागर हो ही जा रही है। इसके साथ-साथ जो स्ंस्थाऐं बनाएं गए है उसको अत्यधिक प्रभावी और कारगर बनाने की आवश्यकता है। लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था के आने से भ्रष्टाचार में कमी आई है लेकिन इसको और सार्थक बनाने की जरूरत है। केन्द्रिय सतर्कता आयोग, केन्द्रिय अनवेषण ब्यूरों, सिटिजन चार्टर आदि जैसे संस्थाओं को निष्पक्षता, ईमानदारी, बिना भेदभाव के काम करना होगा। जिससे लोगों का विश्वास सस्थाओं के प्रति बना रहे।

Reference:-

1) Asif, M (2013). Institutional Analysis of Ombudsman. researchgate.net.
2) Sathe, S.P. (1969) . Lokpal and Lokayukta: The Indian Journal of the University of Bombay. University of Bombay.
3) बिहार सरकार, (2013) . लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम.
4) झा, र.रं.(1990) . लोकायुक्त द इण्डियन ओम्बुड्समैन, ऋषि पब्लिकेशन, प्रिन्टर्स tkSgjh प्रिन्टर्स वाराणसी, अंग्रेजी संस्करण–
5) शंकर, मणी. (2001) . लोकपाल की व्यवस्था, हिंदी संस्करण, (पटनाः यूनीवर्सल बुक एजेन्सी) प्रथम संस्करण
6) अरोड़ा, रमेश कुमार. (1967) . केस फॉर ओम्बुडसमैन इन इंडिया कामर्शियम
7) कोहली, सुरेश. (1975) . ''करप्शन इन इंडिया'', नई दिल्ली, चेतना
8) Parmar, M(1989). Ombudsman (Lokayuktas) in Indian States Indian Journal of Public Administration. journals.sagepub.com.
9) रजनी रंजन झा, लोकायुक्त द इण्डियन ओम्बुड्समैन, ऋषि पब्लिकेशन, प्रिन्टर्स जौहरी प्रिन्टर्स वाराणसी, अंग्रेजी संस्करण–1990
10) मणी शंकर, लोकपाल की व्यवस्था, हिंदी संस्करण, (पटनाः यूनीवर्सल बुक एजेन्सी) प्रथम संस्करण 2001
11) सूचना समाज का, हिन्दी मासिक, नवम्बर 2011 का अंक, पाटलिपुत्र प्रकाशन पटना से प्रकाशित
12) http://www.lawcommissionof India

.

Created by Universal Document Converter